रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2015/फाल्गुन 27, 1936
No. 151] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2015/PHALGUNA 27, 1936

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फ़रवरी, 2015

सा.का.नि. 202(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला में वरिष्ठ संरक्षण अधिकारी के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला (वरिष्ठ संरक्षण अधिकारी), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(ख) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान - उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इनका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हता आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के विवाह रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :-

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ संरक्षण अधिकारी	2* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रू. + ग्रेड वेतन 6600/- रू.	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	50 प्रतिशत संयुक्त पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति] तथा 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	**(12)**	**(13)**
संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति] : **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :** केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :– (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100/-रु. और 5400/-रु. के ग्रेड-वेतन या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रु. और 4800/-रु. के ग्रेड-वेतन या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रु. और 4600/-रु. के ग्रेड-वेतन या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की हो ; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन शास्त्र सहित ललित कला / दृश्य कला में बैचलर डिग्री या बी.एस.सी. की डिग्री के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संरक्षण में मास्टर डिग्री ; और (ii) सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या (i) स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन शास्त्र सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में मास्टर डिग्री ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ललित कला/ दृश्यकला में मास्टर डिग्री ; और (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था या संस्थान से सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण में छह मास का प्रशिक्षण ; या चित्रकला या वस्त्र या पांडुलिपियों या कागज या काष्ठ या धातु या पाषाण तथा सेरामिक्स के संरक्षण जैसे विशिष्ट क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था या संस्थान से कम से कम चार मास का प्रशिक्षण। (iii) सांस्कृतिक संपदा संरक्षण के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

टिप्पण 1 : इस श्रेणी में सात वर्षों की नियमित सेवा वाले वेतन बैंड-2, 9300-34800 और 4600/-रू. के ग्रेड वेतन के पद में विभागीय वरिष्ठ तकनीकी रेस्टोरर पर भी बाह्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और इस पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन होने की दशा में, यह पद प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा। **टिप्पण 2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प कालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प कालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है, और वहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रति पुनर्संस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।		

[फा.सं. 8-2/2014-एम-II]

प्रमोद जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2015

G.S.R.202(E).–In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to post of Senior Conservation Officer in the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, namely:-

1. **Short title and commencement**.– (1) These rules may be called the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (Senior Conservation Officer) Group 'A' post Recruitment Rules, 2015.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and the pay band and grade pay or pay scale**. – The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications etc**. – The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall, be as specified in columns (5) to (13) of the above said Schedule.

4. **Disqualification.**– No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.– Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Conservation Officer.	2* (2015) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial.	Pay band -3, ₹ 15600 -39100 plus grade pay of ₹ 6600.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	50% by composite method [Deputation (including short term contract) plus promotion] and 50% by deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Composite method [deputation (including short term contract) plus promotion]: Deputation (including short term contract): Officers under the Central or State Governments or Union territories administrations or Public sector undertakings or universities or recognised research institutions or Semi	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

Government or Autonomous bodies or Statutory organisations: (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in PB-3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs.5400 or equivalent in parent cadre or department; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the PB-2, Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4800 or equivalent in parent cadre or department; or (iv) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in PB-2, Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4600 or equivalent in the parent cadre or department; and (a) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Master's degree in conservation from a recognised university or institute with Bachelor's degree in Fine Arts/ Visual Arts or B.Sc. with Chemistry as one of the subjects at Graduate level from a recognised university or institute; and (ii) Five year experience in the field of Conservation of Cultural Property; or (i) Master's degree in science from a recognized university or institute with Chemistry as one of the subject at graduate level; or Master's degree in fine Arts /Visual Arts from a recognised university or institute; and (ii) Six months training in Conservation of Cultural Property from a recognised university or institute or institution; or At least four months training from a recognised university or institute or institution in a specialized field like Conservation of paintings or Textiles or Manuscripts or Paper or wood or metal or Stone and ceramics. (iii) Five years' experience in the field of Conservation of Cultural Property. **Note-1**: The Departmental Senior Technical Restorer in posts in PB-2, Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4600 with seven years' regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he or she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note-2**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.		

(Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). **Note-3**: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F. No. 8-2/2014-M-II]
PRAMOD JAIN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.